मुन्तकिली प्रकरण सं0 66/2017(RCMS 2017/00133) अनवानी सतीश कुमार पुत्र चूड़ीयाराम जाति अग्रवाल निवासी 2 एस टी आर (घड़साना) तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर बनाम 1 . श्रीमती अंगूरी देवी पत्नि सुगनाराम जाति मेघवाल निवासी 3 एस.टी.आर. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर 2. गुरजन्ट सिंह पुत्र कृपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर 3. स्टेट जरिए उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.07.2018

प्रार्थी सतीश कुमार व उसके अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल को रूक रूक कर बार-बार आवाज लगाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आये और न ही प्रार्थी की ओर से अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित आया है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी सतीश कुमार ने उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के न्यायालय के लम्बित प्रकरण संख्या 91/2017 अनवानी अंगूरी देवी बनाम सतीश कुमार आदि में अन्तर्गत धारा 251 आर टी ए एवं प्रार्थना पत्र 212 आर टी ए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण किसी अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि प्रार्थी व उसके अभिभाषक श्री राजकुमार नागपाल बार बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नही आये है, जिससे प्रतीत होता है कि अब प्रार्थी को अपने उक्त मुन्तकिलो प्रार्थना पत्र में कोई दिलचस्पी नही है। इसलिए प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर